कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल–प्रथम
मेरठ

निविदा सूचना संख्याः 02/एस0ई0/2016–17

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाईन प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल एंव फाइनेन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः 17–02–2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल बिड दिनांकः 17–02–2017 को अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ द्वारा निर्धारित समिति द्वारा ऑन लाईन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्‌टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

प्री–क्वालिफिकेशन बिड में क्वालिफाई घोषित ठेकेदारों की फाइनेन्शियल बिड दिनांकः 20–02–2017 को 3:00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्‌टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस उसी समय खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू में)	पंजीकृत श्रेणी	कार्य से सम्बन्धित अधिकारी का पता	
							अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चौ0 चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बांये अफलबंध के कि0मी0 7.760 स्पर नं0 03 का निर्माण कार्य	334.00	6.68	6 माह	रू0 300.00 +13.5% वैट	''ए'' एवं ऊपर	म0गं0न0 नि0ख0–5, बिजनौर	अधी0अभि0, म0गं0न0 नि0म0–प्रथम, मेरठ
3	चौ0 चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बांये अफलबंध के कि0मी0 4.480 से कि0मी0 5.000 तक लांचिंग एप्रन एवं पिचिंग का काय	237.00	4.74	6 माह	रू0 300.00 +13.5% वैट	''ए'' एवं ऊपर	––तदैव––	––तदैव––

(1)– यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (http://upgovt.nic.in) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट (http://www.irrigation.up.in, http://www.idup.upgovt.in) पर उपलब्ध है। वेबसाईट से ड्राईगं उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में देख सकेगें।

(2)– यह निविदा सूचना एंव प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र (IDT-1), (IDT-2) (IDT-3) तथा श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र, श्रमविभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र व अन्य प्रपत्र/अभिलेख की स्कैन्ड प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(3)– पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2) स्वघोशणा शपथ–पत्र (IDT-3) को मूलरूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(4)– निविदा/बिड की विस्तृत शर्ते निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

(5)– निविदादाता/बिडर को दिनांकः 17–02–2017 को अपरान्ह् 03:00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल–प्रथम, मेरठ के कार्यालय में पिछले दो वित्तीय वर्षो में किये गये कार्यो के अनुभव प्रमाण–पत्र तथा श्रमविभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(6)– निविदादाता को अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–5, बिजनौर के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत धरोहर धनराशि, टेण्डर सेल VAT सहित तथा IDT-1,IDT-2,IDT-3 निर्धारित श्रेणी का प्रमाण–पत्र, टर्नओवर के मूल प्रमाण–पत्र अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल–प्रथम, मेरठ के कार्यालय में दिनांकः 17–02–2017 को 03:00 बजे तक जमा करने होगें अन्यथा उनकी निविदा Unresponsive मानते हुये कोई विचार नही किया जायेगा तथा विभाग में

उनका पंजीकरण को निरस्तीकरण किया जा सकता है। उपरोक्त की स्कैन्ड कापी निविदा के साथ लगानी अनिवार्य होगी।

(7)– प्रत्येक निविदादाता को रू0 100/– जूडिशियन स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरे 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी आनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है। नियमानुसार देय वाणिज्यकर, आयकर, स्टैम्प डयूटी, रायल्टी, लेबर सेस प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा 8 प्रतिशत जमानत की शेष धनराशि भी जमा करना होगी। निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्याः 622/23.12.2012–2 ऑडिट/08/टी0सी0, दिनांकः 08–06–2012 के अनुसार ''10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें डालने पर 0.50 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर '' पर्फोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(8)– धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभुति के रूप में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक होनी चाहिये। इसकी स्कैन्ड कापी आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

(9)– कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा धटायी/बढायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

(10)– कार्यस्थल पर भूमि क्रय करने के प्रयास किये जा रहे है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।

(11)– निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणो की तिथियों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसो में प्राप्त की जा सकती है।

(12)– निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

(13)– इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(14)– यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

(15)– Technical Evaluation by Tender Committee will be done off-line Comparative chart would be prepared manually and work list & Award of contract will be available on-line.

(16)– कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

(17)– राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगें।

(18)– एक निविदादाता केवल एक ही निविदा डाल सकेगा।

(19)– यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

(20)– विशिष्ट परिस्थितियों में में निविदा खोलने के तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना आनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।

(21)– प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रो का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एंव अनुभव प्रमाण–पत्र ठीक–ठीक उपलब्ध कराये है या नही। इनमे किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुल्नात्मक विवरण में अंकित नही की जायेगी।

(22)– आनलाइन विडिंग तथा कार्य से सम्बन्धित प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु एक प्रीबिड मीटिंग दिनांक 13–02–2017 को अपरान्ह 03:00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल–प्रथम, मेरठ के कार्यालय में आयोजित की गयी है, जिसमें इच्छुक ठेकेदार भाग ले सकेंगे।

(23)– निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवशयक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

(24)– निविदादाता की ज्वाईंट वैन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

(25)– ठेकेदार द्वारा विगत पांच वर्षो में समान प्रकृति का एक कार्य करने तथा उसे समय से पूर्ण करने का अनुभव हो। इस कार्य की लागत निविदा के कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चहिये। इस हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(26)– ठेकेदार का पिछले पांच वित्तीय वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्नओवर निविदा के कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक का होना चाहिये। इस हेतु ठेकेदार को अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बेलेन्स शीट की सत्यापित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(27)– अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल–प्रथम
मेरठ